आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –253 / 2022

रीना कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
17.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 6757 / 2022 में दिनांक–30.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 22.02.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश का अंश :– **"For the aforenoted reasons and in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under section 3 & 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause-36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 15 days, the Divisional Commissioner shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including the respondent no.6, shall pass a final order within a period of 60 days, giving reasons in support of the deciaion taken by him."** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(i) आवेदिका द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकान पंचायत–छितरौली, रोस्टर बिन्दु सं0–1112 पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

(ii) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के नाम की अनुशंसा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अपीलकर्ता का नाम क्रमांक 01 पर था जबकि विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) का नाम क्रमांक 04 पर है।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के नाम की अनुशंसा की गई। विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) द्वारा कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र और लगान रसीद संलग्न नहीं करने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

(iv) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा गलत तरीके से विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) का चयन कर लिया गया, जो निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका और विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) दोनों इंटर एवं कम्प्यूटर ज्ञान धारक है। समान योग्यताधारी होने पर विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) के अधिक उम्र होने के कारण ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' की कंडिका 9(v) के आलोक में विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) को प्राथमिकता देकर चयन किया गया। विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) द्वारा ससमय आपत्ति एवं कम्प्यूटर ज्ञान संबंधित प्रमाण–पत्र दे दिया गया था। इस प्रकार विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) का चयन नियमानुकूल है एवं आवेदिका का अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि कम्प्यूटर ज्ञान में समानता होने एवं समान योग्यताधारी होने के कारण अधिक उम्र वाले आवेदिका को प्राथमिकता देते हुए विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) का चयन किया गया है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

आवेदिका (श्रीमती रीना कुमारी) एवं विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) दोनों की शैक्षणिक योग्यता इंटर है एवं दोनों कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र धारित करती है। आवेदिका की जन्म तिथि 15.03.1994 है एवं विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) की जन्म तिथि 14.12.1993 है। इस प्रकार विपक्षी सं0–05 (श्रीमती सोनी कुमारी) का उम्र आवेदिका से अधिक है।

''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)'' में अंकित है कि ***''उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।''*** इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL